डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–। 37/ 2019

1. चरणसिह पुत्र ज्ञानसिह } जाति कम्बोजसिख निवासीयान चक 18 जीजीआर तहसील
2. बाबूसिह पुत्र ज्ञानसिह } टिब्बी जिला हनुमान वादीगण

बनाम्

1. ज्ञानसिह पुत्र अर्जनसिह } जाति कम्बोजसिख निवासीयान चक 18 जीजीआर
2. छिन्द्रकौर पत्नी ज्ञानसिह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सर्वजीतकौर पत्नी बलविन्द्रसिह पुत्री ज्ञानसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 4 केएलएम अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. जसप्रीत पत्नी गुरमुखसिह पुत्री ज्ञानसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 7 जे.बी. जैतसर जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रतनलाल शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीसं0 1 चरणसिह को चकनं0 18 जीजीआर के प0न0 173/294 मु0 67 किलानं0 15/.253 है0, प0न0 174/289 मु0 46 किलानं0 18/.253 है0 तथा वादीसं0 2 बाबूसिह को चकनं0 18 जीजीआर के प0न0 173/294 मु0 67 किलानं0 6,7,14, प0न0 174/289 मु0 46 किलानं0 23, 24/1/.241, 24/2/.012 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम करने व चकनं0 18 जीजीआर के खाता सं0 36/39 मे से प्रतिवादी सं0 1 ज्ञानसिह पुत्र अर्जनसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्.........निल.............खर्चा मुकदमें के मय सुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....12.07.2019...को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 133/2019

1.चरणसिह पुत्र ज्ञानसिह
2.बाबूसिह पुत्र ज्ञानसिह
} जाति कम्बोजसिख निवासीयान चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1.ज्ञानसिह पुत्र अर्जनसिह
2.छिन्द्रकौर पत्नी ज्ञानसिह
} जाति कम्बोजसिख निवासीयान चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3.सर्वजीतकौर पत्नी बलविन्द्रसिह पुत्री ज्ञानसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 4 केएलएम अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

4.जसप्रीत पत्नी गुरमुखसिह पुत्री ज्ञानसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 7 जे.बी. जैतसर जिला श्रीगंगानगर।

5.तंहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रतनलाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 12.07.2019

वादीगण चरणसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 ज्ञानसिह के नाम से चकनं0 18 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 36/39 में प0न0 173/294 मु0 67 किलानं0 6,7,14,15, प0न0 174/289 मु0 46 किलानं0 18,23, 24/1/.241 है0, 24/2/.012 है0 कुल 1.771 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो पीढी दर पीढी विरास्तन चली आ रही है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का घरू बटवारा हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया था। वादीसं0 1 को पूर्व में इसी चक में 3 बीघा आराजी अलग से दी हुई है।प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चकनं0 12 एफटीपी ए के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 37/31 में कुल 4.022 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण को वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि घरू बटवारां मे प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाकर खाता अलग से कायम करवाकर चकनं0 18 जीजीआर के खाता सं0 36/39 मे से प्रतिवादी सं0 1 ज्ञानसिह का नाम कलमजन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने प्रतिवादीसं0 1 का

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

नाम खाता हाजा में से कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। हम पक्षकारान का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आपस में घरू बटवारां किया हुआ है। हम प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से अपने अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रुप से वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि घरू बटवारां में वादीगण को प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हे। इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 18 जीजीआर के खाता सं0 36/39 मे से प्रतिवादी सं0 1 ज्ञानसिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार अपास में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादीसं0 1 चरणसिह को चकनं0 18 जीजीआर के प0न0 173/294 मु0 67 किलानं0 15/.253 है0, प0न0 174/289 मु0 46 किलानं0 18/.253 है0 तथा वादीसं0 2 बाबूसिह को चकनं0 18 जीजीआर के प0न0 173/294 मु0 67 किलानं0 6,7,14, प0न0 174/289 मु0 46 किलानं0 23, 24/1/.241, 24/2/.012 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम करने व चकनं0 18 जीजीआर के खाता सं0 36/39 मे से प्रतिवादी सं0 1 ज्ञानसिह पुत्र अर्जनसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner